



षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निवमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-18.03.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री विजय शंकर दूबे,
स०वि०स०
श्री शकील अहमद खॉं,
स०वि०स०
श्री संजय कुमार तिवारी
उर्फ मुन्ना तिवारी,
स०वि०स०

सिवान जिला के मिससवन प्रखंड का बीज गुणन प्रखंड (मिससवन) की 28 एकड़ भूमि विगत कई वर्षों से अवैध कब्जे में है । इस संदर्भ में भवनीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के प्रथम अपील नं०-237/97 में उभय पक्षों के सुनने के बाद दिनांक-13.12.2010 को कब्जाधारियों के पक्ष में स्पेशल सैंड एक्वीजिशन सह सबजज, सीवान द्वारा एल.ए.आर. कोस नं०-19/89 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है तथा कब्जाधारियों पर 10,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया है । इसके बावजूद आजतक उक्त जमीन को कृषि विभाग, सीवान अपने कब्जे में नहीं ले सका है ।

अतः जनहित में कृषि विभाग की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री श्याम राजक,
संवि०स०

बिहार में किन्नरों की आबादी लगभग दो लाख है। केंद्र सरकार के द्वारा किन्नरों के उत्थान हेतु दिनांक 04.09.2014 को राज्य सरकार से विस्तृत कार्य योजना मांगी गयी थी, जो अब तक नहीं भेजी गयी है। उनके उत्थान एवं सामाजिक पहचान हेतु दलित समुदाय के तरह 0.3 हिस्सिमिल भूमि एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक ऋण, छात्रावास सुविधा, कैरियर कॉन्सलिंग तथा राज्य सेवाओं में आरक्षण की सुविधा देने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में भेदभाव रोकने हेतु निगरानी समिति का गठन एवं सभी जिलों में किन्नरों के प्रति आम धारणा बदलने हेतु सामाजिक कॉन्सलिंग, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

समाज
कल्याण

अतः किन्नर (ट्रान्सजेन्डर) समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/16- 546 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकसुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महासचिव, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/16- 546 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।